

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2020

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 65(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में पंक्ति 14 में, "3907 99 90" के स्थान पर "3907 99 00" पढ़ें।

[फा.सं.334/2/2020टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार